

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 87/90

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5

New Delhi, dated 24 -5-1990.

The General Managers,  
All Indian Railways, including CLW, DLW & ICF. *PCW*  
The Director General,  
R.D.S.O., Lucknow.

Subject: Revision of pay scales of school teachers.

Ref: : Board's letter of even number dated 11-1-88.

\*\*\*\*\*

In terms of Para 2 of this Ministry's above referred letter, Teaching Allowance @Rs.100/-p.m. is admissible to Primary School teachers, Headmasters of Primary Schools, Trained Graduate Teachers, Headmasters of Middle Schools and Post Graduate Teachers, w.e.f. 1-1-1986. Laboratory Assistants were not granted the Teaching Allowance of Rs.100/-p.m., for which they had been representing.


Department of Education, in consultation with the Ministry of Finance, have now decided to sanction Teaching Allowance of Rs.100/-p.m. to Laboratory Assistants also, w.e.f. 1-1-1986. Accordingly, the Ministry of Railways have decided to sanction Teaching Allowance of Rs.100/- p.m. w.e.f. 1-1-1986 to Laboratory Assistants in Railway Schools. The grant of Teaching Allowance to Laboratory Assistants will be governed by the instructions contained in this Ministry's letter dated 11-1-1988, referred to above, and as amended from time to time.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Receipt of this letter may please be acknowledged positively.

Hindi version is attached.

DA:One.

  
( A.C. BAKSHI )  
JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A)

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5

New Delhi, dated 24-5-1990.

Copy forwarded to:-

i) The FA&CAOs, All Indian Railways, including CLW, DCW  
DLW & ICF & R.D.S.O.

ii) Ministry of Human Resource Development, Deptt. of  
Education, w.r.t. their letter No.F.5-210/86-UT.I (Vol.III)  
dated 12-4-90.

( A.C. BAKSHI )

JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A)

DA:One.

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5

New Delhi, dated 24-5-1990.

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways)  
for information.

for Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5

New Delhi, dated 24-5-1990.

Copy (with 35 spares) to:-

1. The General Secretary, N.F.I.R., 3-Chelmsford Road,  
New Delhi.
2. The General Secretary, A.I.R.F., 4-State Entry Road,  
New Delhi.
3. All Members of the National Council, Departmental  
Council and Secretary Staff Side, 13-C, Ferozeshah  
Road, New Delhi.

for Secretary/Railway Board.

Copy to:

PSS to CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, Adv(S) & Adv(F).

SPAs to EDPC-I, EDPC-II, EDE, EDE(N), EDE(IR), EDE(N),  
DE(GC), JDE(GP), JDE(GR), JDE(W), JDE(P&A).

E(G) (with 3 spares), E(W), E(NG) I, E(NG) II, F(E) I,  
F(E) II, F(E) III, F(E) Spl., E(GR) I, E(GR) II, E(GP), PC-III,  
PC-IV, E(Rep) I, E(Rep) II, E(Rep) III, E(P&A) II / Branches of  
Railway Board.

SB\*  
400.

2 copies E(LR) III

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय ॥ रेलवे बोर्ड ॥

आर बी. ई. नं. -87/90-

सं. ई॥पी एंड ए॥-87/पी एस-5/पी ई-5 नयी दिल्ली, दि० 24. 5. 90

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें तथा अन्य.

विषय:- विद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन.

संदर्भ :- 11. 1. 88 का बोर्ड का समसंख्यक पत्र.

=====

इस मंत्रालय के ऊपर संदर्भित पत्र के पैरा 2 के अनुसार, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों, प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और स्नातकोत्तर शिक्षकों को 1. 1. 86 से 100 रु. प्रतिमाह की दर से शिक्षण भत्ता अनुमेय है। प्रयोगशाला सहायकों को 100 रु. प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता मंजूर नहीं किया गया था जिसके लिए वे मांग करते रहे हैं।

शिक्षा विभाग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रयोगशाला सहायकों को भी 100 रु. प्रतिमाह का शिक्षण भत्ता 1. 1. 86 से मंजूर करने का विनिश्चय किया है तदनुसार, रेल मंत्रालय ने रेलवे स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों को 1. 1. 86 से 100 रु. प्रतिमाह शिक्षण भत्ता मंजूर करने का विनिश्चय किया है। प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षण भत्ते की मंजूरी, इस मंत्रालय के ऊपर संदर्भित 11. 1. 88 के पत्र में निहित और समय-समय पर संशोधित अनुदेशों के द्वारा शासित होगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की तत्काल पावती दें।

सं. निदेशा. ॥ वे. भ. ॥  
॥ स. सी. बक्शी ॥

सं. निदेशा. ॥ वे. भ. ॥, रेलवे बोर्ड.

.... 2/ =

...2...

सं. ई०पी० एंड ए० 1-87/पी० एस्-5/पी० ई-5

नयी दिल्ली, दि० 24. 5. 90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चिं रे का, डीं रे का., सं. डि. का. एवं अ. अ. मा. सं. सहित सभी भारतीय रेलें ।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग को उनके दि० 24. 4. 90 के पत्र सं. एफ5-210/86-यू टी । ई०वाल्थूम ।।।। के संदर्भ में ।

*प्रो. सी. बक्शी*  
श्री. सी. बक्शी

संयुक्त निदेशक स्था. ई०. भ. ई.,  
रेलवे बोर्ड.

संलग्न : एक.

सं. ई०पी० एंड ए० 1-87/पी० एस्-5/पी० ई-5

नयी दिल्ली, दि० 24. 5. 90

प्रतिलिपि 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रेलों को सूचनार्थ ।

*श्री. प. प्रसाद*

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे.

सं. ई०पी० एंड ए० 1-87/पी० एस्-5/पी० ई-5

नयी दिल्ली, दि० 24. 5. 90

प्रतिलिपि 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, एन एफ. आई. आर. 3, चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली.
  2. जनरल सेक्रेटरी, ए. आई. आर. एफ., 4, इस्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली.
  3. राष्ट्रीय परिषद्, विभागीय परिषद् के सभी सदस्यों को, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली ।
- और स्टाफ साइड के सचिव

*प्रो. सी. बक्शी*  
23.5.90

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.